THE UTTAR PRADESH MUSLIM WAQFS (AMENDMENT) ACT, 1970

(U. P. ACT NO. 3 OF 1970)

[**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Muslim Waqf (Sanshodhan) Adhiniyam*, 1970]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1970. Short title

2. (1) Section 11 of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act, shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and in sub-section (1) as so renumbered— Amendment of section 11.

(i) *for* the words "co-opted as hereinafter indicated" the words "co-opted or nominated, as hereinafter indicated" shall be *substituted*;

(ii) *for* clauses (iv) and (v) the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(iv) two members, one of whom shall have knowledge or practical experience in respect of finance and the other in respect of administration, to be nominated by the State Government;

(v) one member to be co-opted by the above ten members from amongst *mutawallis* of *waqfs* to which this Act applies having each an annual income of not less than rupees ten thousand." ;

(iii) in clause (vi) *for* the word "fourteen" the word "eleven" shall be *substituted*;

(2) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Until bye-laws are made under section 79 providing for the manner of election referred to in sub-section (1) the procedure for election shall be such as was in force immediately before the commencement of this Act, and in particular, the election of members by Sunni members of the State Legislature shall be governed by rule 46 of the United Provinces Sunni Central Board Rules, 1944."

3. (1) Section 12 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and in sub-section (1) as so renumbered— Amendment of section 12.

(i) *for* clause (ii) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(ii) one member to be nominated by the State Government;"; and

(ii) *for* clause (iv) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(iv) three members, one of whom shall be a *mutawalli* of a *waqf* to which this Act applies having an annual income of not less than rupees ten thousand, one shall have knowledge or practical experience in respect of finance and administration, and the third shall be an *Alim*, to be co-opted by the above seven members."

[*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette* (*Extraordinary*), dated March 3, 1970].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 13, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 20, 1970.)

(Received the assent of the Governor on March 22, 1970, under Aricle 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary*, dated March 22, 1970.

(2) *After* the said sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2) Until bye-laws are made under section 79 providing for the manner of election referred to in sub-section (1) the procedure for election shall be such as was in force immediately before the commencement of this Act, and in particular, the election of members by Shia members of the State Legislature shall be governed by the rules agreed upon at a meeting of the Shia members of the Legislature on the 16th day of September, 1958."

Substitution of new section for section 13.

4. *For* section 13 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"13. If any of the bodies referred to in clauses (i) to (iii) of sub-section (1) of section 11 and clauses (i) and (iii) of sub-section (1) of section 12 fails to return the requisite number of members within such time as may be prescribed, the deficiency shall be made good by nomination of a Sunni Muslim or Shia Muslim, as the case may be, by the State Government."

Nomination in certain cases.

Amendment of section 14.

5. Section 14 of the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and—

(*a*) in sub-section (1) as so renumbered—

(i) *for* the words "from the day immediately following that on which the term of the members of the previous Board expires" the words "from the date of the notification of its constitution" shall be *substituted*;

(ii) *after* the proviso thereto the following proviso shall be *inserted*, and be deemed to have been *inserted* with effect from the 5th day of December, 1969, namely :

"Provided further that except as provided in sub-section (2), the outgoing members of the Board (including its President) shall, notwithstanding the expiration of their term, continue to hold office as members and President respectively until the constitution of the new Board is notified by the State Government in the Official *Gazette*.";

(*b*) *after* sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Where as a result of any interim order of any Court, either the State Government is unable to issue a notification of due constitution of the new Board or after such notification is issued the new Board is unable to function the State Government may for the duration of such order appoint a Sunni Muslim or a Shia Muslim, as the case may be, as Controller of the Board, and such Controller shall perform, exercise and discharge the function, powers and duties of the Board as well as of its President and members."

Amendment of section 15.

6. In section 15 of the principal Act, in sub-section (2) the words "and shall hold office till a new President is elected by the Board as required by sub-section (1)" shall be *omitted*.

Transitory provision.

7. Notwithstanding anything contained in the principal Act or in any judgment, decree or order of any court,—

(i) the elections last held or purporting to have been held before 31st December, 1969, under clauses (i), (ii) and (iii) of section 11 and under clauses (i) and (iii) of section 12 of the principal Act shall be deemed to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at the time of such elections ;

(ii) the co-options under clauses (iv) and (v) of section 11 and clause (iv) of section 12 of the principal Act last made before the said date shall be deemed to be and always to have been as invalid as if the provisions of this Act were in force at the time of such co-options.

Removal of difficulties.

8. The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the principal Act to the provisions of that Act as hereby amended, by order direct that the principal Act or the rules made thereunder shall, during such period as may be specified in the order, not extending beyond one year from the commencement of this Act, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient.

Repeal of U.P. Ordinance no. 11 of 1969.

9. The Uttar Pradesh Muslims Waqfs (Amendment) Ordinance, 1969, is hereby repealed.

PSUP—A.P. 72 General (Leg.)—1970.—1,852+50 (M.)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1970)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 21 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 मार्च, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 मार्च, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

धारा 11 का संशोधन

2—(1) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 को उक्त धारा की उपधारा (1) पुन: संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) में:—

(i) शब्द "आगे दी गई रीति से आमेलित किये जायेंगे" के स्थान पर शब्द "आगे दी गई रीति से आमेलित या नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे" रख दिये जायें;

(ii) खण्ड (4) तथा (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायें, अर्थात्:—

"(4) दो सदस्यों, जिनमें से एक वित्त के सम्बन्ध में तथा दूसरा प्रशासन के सम्बन्ध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(5) एक सदस्य, जो उपर्युक्त दस सदस्यों द्वारा ऐसे वक्फों के, जिन पर यह अधिनियम लागू होता हो और जिनमें से प्रत्येक की कम से कम दस हजार रुपये की वार्षिक आय हो, मुतवल्लियों में से आमेलित किया जायगा" ;

(iii) खंड (6) में शब्द "चौदह" के स्थान पर शब्द "ग्यारह" रख दिया जाय;

(2) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) जब तक कि उपधारा (1) में अभिदिष्ट निर्वाचन की रीति की व्यवस्था करने के लिए धारा 79 के अधीन उपविधियां न बना दी जायं तब तक निर्वाचन की प्रक्रिया वही होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, और विशेष रूप से, राज्य विधान मंडल के सुन्नी सदस्यों द्वारा सदस्यों का निर्वाचन यूनाइटेड प्राविन्सेज सुन्नी सेंट्रल बोर्ड रूल्स, 1944 के नियम 46 द्वारा नियंत्रित होगा।"

धारा 12 का संशोधन

3—(1) मूल अधिनियम की धारा 12 को उक्त धारा की उपधारा (1) पुन: संख्यांकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा में—

(i) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(2) एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा" ; और

(ii) खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(4) तीन सदस्य, जिनमें से एक किसी ऐसे वक्फ का, जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, और जिसकी कम से कम दस हजार रुपये की वार्षिक आय हो, मुतवल्ली होगा, दूसरा सदस्य ऐसा होगा जिसे वित्त तथा प्रशासन के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, और तीसरा सदस्य आलिम होगा, उपर्युक्त सात सदस्यों द्वारा आमेलित किये जायेंगे।"

(2) उक्त उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) जब तक कि उपधारा (1) में अभिदिष्ट निर्वाचन की रीति की व्यवस्था करने के लिये धारा 79 के अधीन उपविधियां न बना दी जाय, निर्वाचन की प्रक्रिया वही होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, और विशेष रूप से,

---

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

राज्य विधान मंडल के शिया सदस्यों द्वारा सदस्यों का निर्वाचन उन नियमों द्वारा नियंत्रित होगा जो 16 सितम्बर, 1958 को विधान मंडल के शिया सदस्यों की बैठक में निश्चित हुए थे।"

धारा 13 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"13—यदि धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (1) से (3) और धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (1) और (3) में अभिदिष्ट कोई भी निकाय ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, सदस्यों को अपेक्षित संख्या में प्रत्यावर्तित न करे तो इस कमी की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, सुन्नी मुस्लिम अथवा शिया मुस्लिम के नाम-निर्देशन करके की जायगी।"

कतिपय दशाओं में नाम-निर्देशन

धारा 14 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 14 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में—

(1) शब्द "उस दिन के, जब पूर्व बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाय, ठीक बाद के दिन से" के स्थान पर शब्द "उसके संगठन की विज्ञप्ति के दिनांक से" रख दिये जायं ;

(2) इसके प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, और 5 दिसम्बर, 1969 से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि सिवाय उपधारा (2) में उपबंधित दशा, के बोर्ड के बहिर्गामी सदस्य (जिसमें बोर्ड का अध्यक्ष भी सम्मिलित है) इस बात के होते हुए भी कि उनका कार्य-काल समाप्त हो गया, तब तक क्रमशः सदस्य और अध्यक्ष के रूप में अपना पद धाराण किये रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नये बोर्ड का यथोचितरूप से संगठित किया जाना सरकारी गजट में विज्ञापित न कर दिया जाय।" ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय अर्थात्:—

"(2) यदि किसी न्यायालय के किसी अन्तरिम आदेश के परिणामस्वरूप या तो राज्य सरकार नये बोर्ड का यथोचित रूप से संघटित किये जाने की विज्ञप्ति जारी करने में असमर्थ हो या ऐसी विज्ञप्ति के पश्चात् नया बोर्ड कार्य करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार ऐसे आदेश के क्रिया-काल के दौरान बोर्ड के नियंत्रक के रूप में, यथास्थिति, कोई सुन्नी मुस्लिम या शिया मुस्लिम नियुक्त कर सकती है, और ऐसा नियंत्रक, बोर्ड तथा उसके अध्यक्ष और सदस्यों के सभी कृत्यों का निर्वहन, अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।"

धारा 15 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में शब्द "और वह तब तक पदासीन रहेगा जब तक उपधारा (1) के अपेक्षानुसार बोर्ड द्वारा नया अध्यक्ष निर्वाचित न कर दिया जाय" निकाल दिये जायें।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

7—मूल अधिनियम में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी बात के होते हुए भी—

(1) दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 के पूर्व अंतिम बार मूल अधिनियम की धारा 11 के खंड (1), (2) और (3) के अधीन और धारा 12 के खंड (1) और (3) के अधीन हुए या तात्पर्यित निर्वाचित वैध समझे जायेंगे और सदैव से वैध होंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे निर्वाचन के समय प्रवृत्त थे;

(2) उक्त दिनांक के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 11 के खंड (4) और (5) और धारा 12 के खंड (4) के अधीन अन्तिम बार दिये गये आमेलन अवैध समझे जायेंगे और सदैव से अवैध रहे समझे जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे आमेलन के समय प्रवृत्त थे।

कठिनाइयों का दूर किया जाना

8—राज्य सरकार किसी भी कठिनाई को, विशेष रूप से मूल अधिनियम के उपबन्धों से एतद्द्वारा संशोधित अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम, आदेश में निर्दिष्ट ऐसी अवधि में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष से अधिक न हो, ऐसे अनुकूलनों के चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, अधीन रहते हुए जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे, प्रभावी होंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1969 का निरसन

9—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1969 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।